न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 206/2019 (127/2019)

GCMS NO. : 2019/00109

-:: प्रार्थीगण ::- **बनाम** **-:: अप्रार्थी ::-**

1. सुगनकंवर पत्नी नरपतसिंह
2. करिश्मा खिडिया पुत्री नरपतसिंह
3. कोमल खिडिया पुत्री नरपतसिंह
4. काजल खिडिया पुत्री नरपतसिंह
5. जयकरण पुत्र नरपतसिंह

जातियान-चारण,निवासीगण-कांवलिया कलां, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0। हाल मुकाम मुडकोसिया जिला राजसमन्द राज0। सायल संख्या 5 जयकरण नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता सुगनकंवर पत्नी नरपतसिंह चारण।

1. नरपतसिंह पुत्र बेणीदान जाति-चारण, निवासी-कांवलिया कलां, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री किशोर कुमावत, श्री राजुराम कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 27/08/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा कांवलिया कलां पटवार हल्का कांवलिया कलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया तहसील जैतारण में सायलान की पुश्तैनी/पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके है, जो इस प्रकार खाता संख्या 49/47 खसरा नम्बर 79 रकबा 3-01 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 88 रकबा 4-10 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 89 रकबा 9-16 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा 3 कुल रकबा 17-07 बीघा, खाता संख्या 317/303 खसरा नम्बर 528 रकबा 8-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सायल सं. एक सुगनकंवर के ससूर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायलान सं. दो से पांच के दादा स्व0 श्री बेणीदान वल्द जयदेवजी कौम चारण निवासी कावलिया कला की पूर्वजों की पैतृक वादग्रस्त कृषि भूमि गांव कावलिया कलां में स्थित है। वक्त सेटलमेंट यानि दिनांक 15.10.1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आया, तब उक्त कृषि भूमि श्री बेणीदान व उनके भाई इन्द्रभान व मोहनसिंह जी की शामलाती खुदकाश्त के रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे तत्पश्चात् स्व0 बेणीदान, इन्द्रभान व मोहनसिंह जी तीनों भाईयों ने आपसी शामलाती भूमि का आपस में बंटवाड़ा की डिक्री के जरिये तकास्मा (बंटवाड़ा) किया, उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि स्व0 श्री बेणीदान जी के हक हिस्से में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज हुई। उक्त कृषि भूमि स्व0 बेणीदान जी के पूर्वजों की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पीढी दर पीढी बतौर उत्तराधिकारी बेणीदान जी को प्राप्त हुई, व बेणीदान जी का देहान्त आज से करीबन 15 वर्ष पूर्व होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि उनकी पत्नी हंसाकंवर व तीन जायन्दा पुत्र ममायदान, मगदान व गैरसायल नरपतसिंह के नाम दर्ज हुई, व ममायदान जी एवं मगदान जी का देहान्त होने पर उनके हक हिस्से की भूमि ममायदान की पत्नी प्रकाशकंवर, मगदान जी के पुत्र भवानीसिंह पुत्र मगदान, आनन्दकंवर पत्नी मगदान जी के नाम दर्ज हुई। उक्त सभी वादग्रस्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के जमाबन्दी खतौनी में नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि सभी खातेदारान की पैतृक/पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त वादग्रस्त आराजी में सायलान एवं गैरसायल का 1/3 वां हिस्सा में 1/4 वां हिस्सा है। सायलान व गैरसायल हिन्दु मुस्तक खानदान के सदस्य है जिसके कर्ता खानदान के रूप में गैरसायल नरपतसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में दर्ज है। गैरसायल नरपतसिंह कर्ता खानदान के सदस्य होने के बावजूद सायलान की परिवरिश एवं भरण पोषण नहीं कर रहे है। इसलिए सायलान अपने नाबालिग बच्चों व परिवार के साथ अपने भाई के पास पीहर में रह रही है। गैरसायल नरपतसिंह आदतन शराब का सेवन कर रहा है जिस कारण से लोगों के सिखावट व बहकावे में आकर वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द, बैचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा है। यदि गैरसायल नरपतसिंह द्वारा ऐसा किया गया तो सायलान हमेशा के लिए अपनी पैतृक हिन्दु मुस्तर्का खानदान की शामलाती वादग्रस्त आराजी से महरूम हो जायेंगे। गैरसायल को वादग्रस्त आराजी में 1/3 में से 1/4 वां हिस्सा यानि कुल भूमि में 1/12 वां हिस्से की भूमि को बैचान, हस्तान्तरण व खुर्दबुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है बल्कि गैरसायल को वादग्रस्त आराजी को केवल भोगने का ही अधिकार है। गैरसायल ने सायलान को वादग्रस्त आराजी किसी अन्य अजनबी व्यक्तियों को बैचान करने की दिनांक 16.08.2019 को एलानिया धमकी दी, तब सायलान सुगनकंवर ने उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के सक्षम वादग्रस्त आराजी का पंजीयन नहीं करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। [illegible] आवेदन प्रस्तुत करने पर उप पंजीयन अधिकारी ने सायलान को [illegible] से स्थगन आदेश के बगैर भूमि का पंजीयन करने से नहीं [illegible] पर सायलान की और से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

श्रीमान् के समक्ष गैरसायल के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी सायलान की पुश्तैनी/पैतृक संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त कृषि भूमि है यदि गैरसायल आदतन शराबी होने से लोगों के सिखावे-बकहावे में आकर शराब के नशे में वादग्रस्त भूमि का बैचान, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द कर दिया गया, तो सायलान को वादग्रस्त आराजी से उत्पन्न होने वाले आनाज एवं भरण पोषण से वंचित होना पडेगा, एवं कृषि भूमि के अभाव में भूखे मरने की नौबत आयेगी, इसलिए गैरसायल को वादग्रस्त आराजी अजनबी व्यक्तियों को बैचान, हस्तान्तरण, खुर्दबुर्द करने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं है यदि गैरसायल द्वारा ऐसा किया गया तो सायलान उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देंगे, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, सायलान को गैरसायल एवं अजनबी क्रेता के विरुद्ध बार-बार दिवानी/फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टीप्लसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकता है इसलिए सायलान गैरसायल के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायल के पेश है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा काश्त एवं दस्तावेज के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है तथा वादग्रस्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, खुर्दबुर्द करने से अपूर्णीय क्षति सायलान को हाने की सम्भावना है तथा सुविधा का सन्तुलन गैरसायल के पक्ष में ना होकर सायलान के पक्ष में है इसलिए सायलान, गैरसायल के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायल के पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 3-01 बीघा चाही सोयम, खसरा नम्बर 88 रकबा 4-10 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 89 रकबा 9-16 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 17-07 बीघा एवं खसरा नम्बर 528 रकबा 8-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल सरहद मौजा कावलिया कलां जो सायलान की पैतृक संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की भूमि है जिस पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है उक्त वादग्रस्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, खुर्दबुर्द या मुन्तकिल करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायल को बाद के अन्तिम निर्णत तक रोका जावे। अन्य कोई सहायता प्राप्त करने के सायलान अधिकारी हो तो दिलवायी जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायल द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश करने में असफल रहने से जवाब प्रार्थना-पत्र बन्द किया गया। बहस सुनवाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामलाः–

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को पैतृक पुश्तैनी आराजी बताते हुए व प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी में अपना एवं अप्रार्थी का 1/12 वां हिस्सा होने का कथन किया है। मूल वाद के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में विवादित आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने से अपने हक अधिकार होने के कथन किये है परन्तु वादग्रस्त आराजी में घोषणा के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेखीय दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि के अभिलिखित खातेदार नहीं है। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतयाः विफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलनः–

चुंकि प्रथम बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जा होने के कथन किये है परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षतिः–

चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित हुए है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा इस बिन्दू को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण यह साबित करने में विफल रहे है कि हस्तगत प्रकरण में उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेखीय दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। यदि एक खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि–सम्मत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 27/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested